राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांक 5(6)देव/2025 **दिनांकः– यथा ई–हस्ताक्षर**

आयुक्त देवस्थान विभाग,
उदयपुर।

समस्त सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 2(11) में वर्णित अनुसार "लोक न्यास" से एक अभिव्यक्त अथवा प्रलक्षित न्यास अभिप्रेत है, जो या तो लोक धार्मिक अथवा पुण्यार्थ प्रयोजन के लिये है अथवा दोनों के लिये है तथा इसमें कोई भी मंदिर, मठ, धर्मादा या अन्य कोई धार्मिक या पुण्यार्थ विन्यास अथवा संस्था एवं धार्मिक या पुण्यार्थ या दोनों प्रयोजन हेतु निर्मित कोई सोसायटी सम्मिलित है।

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई न्यास जो अभिव्यक्त रूप से या प्रलक्षित रूप में लोक धार्मिक अथवा पुण्यार्थ प्रयोजन के लिये अथवा दोनों के लिये निर्मित है, उनका ही पंजीयन राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के तहत कराया जाना अपेक्षित है।

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय न्यासों द्वारा अभिव्यक्त या प्रलक्षित रूप से उनके गठन/सृजन का प्रयोजन लोक धार्मिक एवं पुण्यार्थ बताया/दर्शित किया जाता है, परन्तु व्यवहारतः ऐसे न्यासों द्वारा विभिन्न माध्यमों से अर्जित/एकत्रित मूल्यवान वस्तु/धनराशि का उपयोग लोक धार्मिक एवं पुण्यार्थ प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाता है।

अतः किसी लोक धार्मिक एवं पुण्यार्थ प्रयोजनों के लिये गठित न्यासों द्वारा पंजीकरण के उपरान्त विभिन्न माध्यमों से अर्जित/एकत्रित मूल्यवान वस्तु/धनराशि का उपयोग लोक धार्मिक एवं पुण्यार्थ कार्यों/प्रयोजनों में नहीं किया जाता है तो ऐसे न्यासों के मामलों में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 40 के तहत आवश्यक निर्देशनों हेतु यथोचित आवेदन पत्र सक्षम न्यायालयों में देवस्थान विभाग की ओर से प्रस्तुत करावें। साथ ही ऐसे लोक न्यासों को आयकर अधिनियम की धारा 80G जैसे लाभों से वंचित कराने एवं रियायती दर पर प्राप्त सुविधाओं/आवंटित भूमियों के आवंटन को निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(डॉ. कृष्णा कान्त पाठक)
सचिव।

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.10.15 14:25:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18349526